"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 मई 2013—वैशाख 11, शक 1935

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-3-62/2008/गृह-दो.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 41 की उपधारा (3) सहपठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार (वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2013, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 3 के खण्ड (ख) में शब्दों "अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक" के स्थान पर शब्दों "पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ-3-62/2008/गृह-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 01-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 1st May 2013

NOTIFICATION

No. F-3-62/2008/Home-Two.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 41 read with Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Police Accountability Authority (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service) Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For the words "Additional Director General of Police" in clause (b) of Rule 3, the words "Director General of Police/Additional Director General of Police" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.